(20)

-1-

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

R-1745-PBR/13

प्र.क्र. /2013

कमलेश भावसार आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल भावसार निवासी सावरकर चौक, गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

प्रार्थी

बनाम

आशाबाई आयु 45 वर्ष पत्नी स्व. श्री जगदीश कुशवाह निवासी ग्राम मढ़िया पोनिया, तह. गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

....प्रतिप्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. ...2.13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. प्र.क्र. 90/अ-12/12-13 व मामले सीमांकन आशाबाई पत्नी जगदीश आवेदिका सीमांकन दिनांक 26.4.2013 आदेश दिनांक 16.4.2013 के विरूद्ध

श्रीमान् महोदय,

रिविजन प्रार्थी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. प्रार्थी ग्राम मढ़िया पोनिया तह. बासौदा की आराजी क्र. 191 रकबा 1.055 हे., आराजी क्र. 190/1 रकबा 1.301 हे., कुल रकबा 2.356 हे. का भूमि स्वामी है प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि नाबालिग अवस्था में लगभग 30 वर्ष पूर्व क्रय की तभी से प्रार्थी उक्त अनुसार काबिज चला आ रहा हूँ।

2. यह कि इसी ग्राम की आराजी क्र. 190/3/1 रकबा 0.600 हे. की भूमि स्वामी आशा कुशवाह पत्नी जगदीश कुशवाह राजस्व कागजात में दर्ज है। हाल ही में आशा कुशवाह द्वारा स्वयं की भूमि का सीमांकन कराया तो उक्त सीमांकन ग्राम पटवारी व राजस्व निरीक्षण द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से करते हुये प्रार्थी के स्वत्व का रकबा को आशाबाई का बताते हुये उक्त रकबे पर प्रार्थी का अवैध कब्जा पाते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। फलस्वरूप मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विधि विरूद्ध तरीके से किये गये इस सीमांकन के विरूद्ध रिवीजन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

cont....

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण क्रमांक 1745/पीबीआर/2012निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
2-11-16	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त -2 बासोदा के मामला नंबर 40 अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनॉक 16-4-2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि जिस भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 बासोदा ने आदेश दिनॉक 16-4-13 से किया है उसके सम्बन्ध में व्यवहार वाद चल रहा था, जो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गंज बासोदा के न्यायालय से मामला नंबर 97 ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई 2013 से आवेदक के पक्ष में निराकृत हुआ है इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुसार निगरानी स्वीकार की जावे। 3/ निगरानी प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक की आराजी नंबर 190/3/1 रकबा 0.600 आरे के सीमांकन की कार्यवाही दिनॉक 24-4-13 को संपन्न होने के बाद आदेश दिनांक 16-4-13 से अंतिमता प्रदान की गई है, जबकि माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गंज बासोदा के न्यायालय से मामला नंबर 97 ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई 2013 से खसरा क्रमांक 190 के किये गये फर्द बटांक को निरस्त किया गया है, जिसके कारण कौन से बटांक किसके है स्पष्ट नहीं हो रहा है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है और इन आदेशों पर से आमल	

प्रकरण क्रमांक 1745/पीबीआर/2012निगरानी

कार्यवाही एवं अन्य प्रकार की कार्यवाहियाँ विचारण न्यायालय तहसील में की जावेगी। अतः आवेदक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गंज बासोदा के न्यायालय से मामला नंबर 97 ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर तदनुसार अमल कार्यवाही करावे। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश होने के कारण विचाराधीन निगरानी में इस स्तर से कार्यवाही शेष न रहने के कारण गुणदोष पर आदेश पारित किये बिना इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य